न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

निगरानी याचिका सं0 19/2024

कमरूद्दीन खाँ पुत्र लल्लन खाँ जाति लुहार मुसलमान निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पास बडे महादेव जी की गली महुवा तहसील महुवा जिला दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच ग्राम पंचायत ठेकडा तहसील महुवा
2. चांद खाँ पुत्र लल्लन खाँ जाति लुहार मुसलमान निवासी जैन मंदिर के पीछे लखेरा गली महुवा तहसील महुवा जिला दौसा

...गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध निर्णय विकास अधिकारी एवं न्याय एवं प्रशासन स्थाई समिती पंचायत समिति महवा दिनांक 5.3.2024 जिसके तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुवानी कमरूद्दीन बनाम ग्राम विकास अधिकारी को मयाद बाहर मानते हुए खारिज किया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता निगरानीकारान
2.श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2

—:: निर्णय ::— दिनांक: १२ .03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा निर्णय विकास अधिकारी एवं न्याय एवं प्रशासन स्थाई समिती पंचायत समिति महवा दिनांक 5.3.2024 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। पंचायत समिति महवा से मूल अभिलेख तलब किया गया। गैर निगरानीकार सं0 1 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने प्रशासन एवं स्थाई समिती पंचायत समिती महुवा के समक्ष एक अपील अनुवानी कमरूद्दीन बनाम ग्राम विकास अधिकारी की इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट के पिता लल्लनखॉ ने कृषि भूमि खसरा नंबर 480 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम धन्तूरी मे से एक प्लाट 40 इन्टू 40 फिट का खातेदार कैलाश बिहारी पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महुवा से स्टाम्प पेपर पर क्रय किया था। आज भी उक्त प्लाट कृषि भूमि खसरा नंबर 480 ग्राम धन्तूरी के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अप्रार्थी नंबर 2 चांद खॉ ने षडयंत्र रचकर कृषि भूमि खसरा नंबर 480 ग्राम धन्तूरी के 40 इन्टू 40 फिट के प्लाट का ग्राम पंचायत ठेकडा से एक फर्जी पटटा तैयार अपने अकेले के नाम तैयार कर लिया जबकि उक्त पटटे की आज तक ग्राम पंचायत ठेकडा मे कोई भी पटटा पत्रावली मौजूद नही है। अप्रार्थी नंबर 2 चांद खाँ ने फर्जी व कूटरचित कृषि भूमि मे तैयार किये गये पटटा संख्या 10 ग्राम पंचायत ठेकडा मिसल संख्या [illegible] व दायर दिनांक 5.07. 2007 पटटा जारी दिनांक 6.08.2007 का षडयंत्र रचकर तैयार किया गया था उक्त फर्जी पटटा खसरा नंबर 480 ग्राम धन्तूरी की कृषि भूमि का तैयार किया है जबकि खसरा नंबर 480 की कृषि भूमि आज तक भी अकृषि अथवा आवासीय भूमि मे परिवर्तित नही हुई। अपीलान्ट ने उक्त पटटे की सम्पूर्ण पत्रावली के दस्तावेजो की प्रतिलीपी लेने हेतु अपने अधिवक्ता से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया तो उक्त फर्जी पटटे की जानकारी दिनांक 8. 02.2023 के पत्र क्रमांक 86—88 ग्राम पंचायत ठेकडा से पता चला है कि अप्रार्थी नंबर 2 ने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

षडयंत्र रचकर ग्राम पंचायत ठेकड़ा का पटटा संख्या 10 जारी दिनांक 6.08.2007 फर्जी व कूटरचित पटटा है जिसका कोई भी रिकार्ड ग्राम पंचायत ठेकडा मे मौजूद नही है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अनुसार किसी भी कृषि भूमि का बिना समपरिवर्तन करवाये बिना ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी नही किया जा सकता है। उक्त फर्जी पटटे की प्रार्थी को जानकारी होते ही प्रार्थी ने जानकारी से अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद के साथ प्रस्तुत की। जिस पर दिनांक 5.03.2024 को बिना अपीलान्ट प्रार्थी को सुने बिना तथा प्रार्थी के दफा 5 कानून मयाद के प्रार्थना पत्र विचार किये बिना तथा ग्राम पंचायत ठेकडा द्वारा जारी किये गये पटटे एवं उक्त पटटा किस भूमि मे जारी किया गया है इसको देखे बिना कानून के विपरीत तरीके से अपीलान्ट की अपील को मयाद बाहर मानते हुए दिनांक 5.03.2024 को प्रशासन एवं स्थाई समिती विकास अधिकारी महुवा ने दिनांक 5.03.2024 को खारिज कर दिया जिसकी नकल के बारे में यह कह दिया कि फैसला लिखने के बाद आपको प्रति दे दी जावेगी प्रार्थी काफी चक्कर लगाता रहा किन्तु कोई नकल नही दी और अब काफी चक्कर लगाने के बाद दिनांक 7.06.2024 को नकल दी । अतः प्रशासन एवं स्थाई समिती व विकास अधिकारी पंचायत समिती महुवा के निर्णय दिनांक 5.03.2024 के विरूद्ध समक्ष श्रीमान के निगरानी प्रस्तुत है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता प्रार्थी को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 के विन्दुओ को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को देखते है तो अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह लिखा है कि पटटे की जानकारी दिनांक 27.03.2023 को हुई है किन्तु अपीलान्ट ने 27.03.2023 को जानकारी होना नही बताया था बल्कि दफा 5 कानून मयाद प्रार्थना पत्र मे 8.02.2023 को जानकारी होना बताया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा फर्जी पट्टा था। उक्त पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया है वह भूमि प्रार्थी के पिता का कृषि भूमि से खरीदा हुआ प्लाट था जिसमे निर्माण हो रहा है तथा जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी नंबर 2 का संयुक्त कब्जा है। कानूनन कृषि भूमि का पट्टा देने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही था उक्त ग्राम पंचायत का पट्टा व पट्टा संबधी पारित किया गया निर्णय अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय व पटटा था और ऐसे निर्णय व पटटे की अपील करने की कोई मयाद नही होती है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारिज करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 कानून मयाद के प्रार्थना पत्र कोई जवाब नही दिया गया था और कानूनन जब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 कानून मयाद के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नही हुआ तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नही था किन्तु फिर भी मियाद के बिन्दु पर निगरानी खारिज करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह कहकर अपील खारिज की है कि अपील 30 दिन की सीमा अवधि मे प्रस्तुत नही की थी । अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील जानकारी [illegible] अन्दर मयाद एक माह के अन्दर प्रस्तुत की थी और कानून मे जानकारी से [illegible] में पेश करने का प्रावधान है और जानकारी से मयाद मानी जाती [illegible] ने इस बात पर गौर नही करके और निर्णय पारित करने [illegible] है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत को कृषि भूमि में [illegible] जारी करने का अधिकार नही था। ग्राम पंचायत ने बिना कोई जॉच किये विना अपीलान्ट के पिता की खरीदसुदा कृषि भूमि प्लॉट का पटटा अप्रार्थी नंबर 2 के नाम गलत जारी किया था ऐसे पटटे की अपील करने की कोई मयाद नही थी क्यो कि ग्राम पंचायत का निर्णय अवैध अमान्य व क्षेत्राधिकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाहर का निर्णय था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर मानकर खारिज करने मे कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। निगरानी मे श्रीमान को ग्राम पंचायत व प्रशासन व स्थाई समिती के सभी निर्णयो की वैधता संबधी जॉच करने का पूर्ण अधिकार है जिसके तहत श्रीमान उक्त पटटे संबधित ग्राम पंचायत के निर्णय एवं पंचायत समिती के निर्णय की सत्यता व वैधता की जाँच कर सकते है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन व स्थाई समिती व विकास अधिकारी पंचायत समिती महुवा दिनांक 5.03.2024 को निरस्त फरमाने की कृपा करे एवं ग्राम पंचायत ठेकडा द्वारा अप्रार्थी नंबर 2 के नाम जारी पटटा संख्या 10 मिसल संख्या 10 तारीख दायर दिनांक 5.07.2007 पटटा जारी दिनांक 6. 08.2007 को भी निरस्त फरमाने की कृपा करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि पंचायत समिति महवा के द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है। निगरानीकार द्वारा निगरानी गलत आधारों पर प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।
5. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रस्तुत निगरानी याचिका और अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विकास अधिकारी एवं स्थाई समिति, महुवा ने अपीलान्ट की अपील को मात्र 'मयाद बाहर' मानकर प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था। निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि ग्राम पंचायत ठेकडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 6.8.2007 मिसल संख्या 10 पूर्णतः कूटरचित है और इसे कृषि भूमि खसरा नंबर 480 पर बिना किसी वैध भू–परिवर्तन के जारी किया गया है, जो कि पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई आदेश या दस्तावेज क्षेत्राधिकार विहीन या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, तो उसे केवल तकनीकी समय–सीमा के आधार पर जीवित नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 (कानून मयाद) के प्रार्थना पत्र और उसमें वर्णित तथ्यों, जैसे कि उसे पट्टे की जानकारी 08.02.2023 को हुई, पर गंभीरता से विचार नहीं किया ।
7. अतः, यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय (विकास अधिकारी एवं स्थाई समिति, महुवा) के आदेश दिनांक 05.03.2024 को निरस्त करता है। मामले की गंभीरता और पट्टे की वैधता पर उठाए गए गंभीर सवालों को देखते हुए, प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निगरानीकर्ता के विलम्ब माफी के आवेदन का पुनः गुण–दोष के आधार पर परिशीलन करें। उभयपक्ष दिनांक 27.3.2026 को अधीनस्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति महवा के समक्ष उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:39:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12 मार्च [illegible] को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्राकित से जा[illegible] अपील सक्षम न्यायालय में निर्धारित समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा